रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267089
CG-DL-E-22102025-267089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947
No. 691]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 775(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (य) और खंड (यछ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये तारीख 15 नवंबर, 2025 को प्रवृत्त होंगें।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में, नियम 3 के उप-नियम (1) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(घ) कोई मध्यवर्ती, जिसके कंप्यूटर संसाधन पर ऐसी सूचना होस्ट, प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रेषित या संग्रहीत की गई है जिसका उपयोग विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए किया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित; राज्य की

सुरक्षा; विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों; लोक-व्यवस्था; शिष्टता या नैतिकता; किसी न्यायालय की अवमानना; मानहानि; उपर्युक्त के संबंध में किसी अपराध के उद्दीपन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है, अथवा ऐसी किसी सूचना के संबंध में है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है, अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर ऐसी सूचना को वास्तविक जानकारी प्राप्त होने के छत्तीस घंटों के भीतर हटाएगा या उस तक पहुंच को अक्षम करेगा; और ऐसी वास्तविक जानकारी केवल निम्नलिखित तरीकों से उत्पन्न होगी, अर्थात्:—

(i) सक्षम न्यायालय के आदेश के माध्यम से; या

(ii) लिखित रूप में एक तर्कसंगत सूचना,—

(I) समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा ऐसी सूचना जारी करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई, जो संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद के अधिकारी से नीचे का न हो, या जहाँ ऐसे पद का अधिकारी नियुक्त न किया गया हो, वहाँ भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के निदेशक या उसके समकक्ष पद के अधिकारी द्वारा जारी की गई; और जहाँ ऐसा अभिकरण इस प्रकार नियुक्त की गया हो, वहाँ अपनी प्राधिकृत अभिकरण में एक ही संगत अधिकारी के माध्यम से कार्य करेगा, जहाँ ऐसे प्राधिकृत किया गया हो:

परंतु जहाँ ऐसी सूचना पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की जानी हो, वहाँ प्राधिकृत अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो, जिसे इस संबंध में विशेष रूप से समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो:

परंतु यह और कि ऐसी सभी सूचनाएं संबंधित समुचित सरकार के कम से कम के सचिव के पद के अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवधिक समीक्षा के अधीन होंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सूचनाएं आवश्यक, आनुपातिक हैं और अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) तथा इस खंड के अनुरूप हैं।

(II) लागू किए गए कानूनी आधार और वैधानिक प्रावधान, गैरकानूनी कृत्य की प्रकृति, और विशिष्ट यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहचानकर्ता या सूचना, डेटा या संचार लिंक के अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्थान को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे हटाया या अक्षम किया जाना आवश्यक है;"

[फा. सं. 2(4)/2025-साइबर लॉज़]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 139(अ), तारीख 25 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 794(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2022 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 275(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2025

G.S.R. 775(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (z) and (zg) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, namely:—

1. (1) These rules may be called the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the 15th day of November, 2025.

2. In the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, in rule 3, in sub-rule (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

"(d) an intermediary, on whose computer resource the information which is used to commit an unlawful act which is prohibited under any law for the time being in force in relation to the interest of the sovereignty and integrity of India; security of the State; friendly relations with foreign States; public order; decency or morality; in relation to contempt of court; defamation; incitement to an offence relating to the above, or any information which is prohibited under any law for the time being in force is hosted, displayed, published, transmitted or stored shall, upon receiving the actual knowledge under clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Act on such information, remove or disable access to such information within thirty-six hours of the receipt of such actual knowledge, and such actual knowledge shall arise only in the following manner, namely:—

(i) by an order of a court of competent jurisdiction; or

(ii) a reasoned intimation, in writing,—

(I) issued by an officer authorised for the purpose of issuing such intimation by the Appropriate Government or its agency, being not below the rank of Joint Secretary or an officer equivalent in rank or where an officer at such rank is not appointed, a Director or an officer equivalent in rank, to the Government of India or to the State Government, as the case may be, and, where so authorised, acting through a single corresponding officer in its authorised agency, where such agency is so appointed:

Provided that where such intimation is to be issued by the police administration, the authorised officer shall not be below the rank of Deputy Inspector General of Police, especially authorised by the Appropriate Government in this behalf:

Provided further that all such intimations shall be subject to periodic review by an officer not below the rank of the Secretary of the concerned Appropriate Government once in every month to ensure that such intimations are necessary, proportionate, and consistent with clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Act and this clause;

(II) clearly specifying the legal basis and statutory provision invoked, the nature of the unlawful act, and the specific uniform resource locator, identifier or other electronic location of the information, data or communication link required to be removed or disabled;".

[F. No. 2(4)/2025-CyberLaws]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.139(E), dated the 25th February, 2021 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R.794(E), dated the 28th October, 2022 and *vide* notification number G.S.R. 275(E), dated the 6th April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.22 23:06:24 +05'30'